

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 11.01.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 11 व 12) बजट आवंटन।  
प्रसंग : निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.  
9(4)(155)बजट/छात्र/अजा/सा.न्या.अ.वि./18-19/27817 जयपुर दिनांक  
21.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 11 व 12) के पात्र आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक (मुख्यालय) को लेखामद 2225-01-789-01-00 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	विद्यार्थियों की संख्या	आवंटित राशि
1	AJMER	16289	100	2.30
2	ALWAR	6452	150	3.45
3	BARAN	21800	50	1.15
4	BARMER	13976	50	1.15
5	BHARATPUR	7236	50	1.15
6	BHILWARA	17971	50	1.15
7	BIKANER	3735	10	0.23
8	BUNDI	17137	100	2.30
9	CHITTAURGARH	21402	50	1.15
10	CHURU	4492	10	0.23
11	DAUSA	8914	200	4.60
12	DHAULPUR	7576	10	0.23
13	DUNGARPUR	20897	100	2.30
14	HANUMANGARH	3282	300	6.90
15	JAIPUR	10196	200	4.60
16	JAISALMER	13291	30	0.69
17	JALOR	14459	50	1.15
18	JHALAWAR	22087	50	1.15
19	JHUNJHUNUN	5349	150	3.45
20	KARALI	8055	150	3.45
21	KOTA	21597	20	0.46
22	NAGPUR	12261	400	9.20
23	PALI	15571	800	18.40
24	RAJSAMAND	18401	300	6.90

25	S.MADHOPUR	8468	50	1.15
26	SIKAR	11216	10	0.23
27	SIROHI	14800	600	13.80
28	SRI GANGANAGAR	2735	200	4.60
29	TONK	16781	100	2.30
30	UDAIPUR	20688	8	0.18
TOTAL			4348	100.00

(अखरे रूपये एक करोड़ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. राशि का आवंटन वर्ष 2020-21 तक के विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2020-21 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।
6. अनियमित/गलत भुगतान किये जाने की स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
7. दिनांक 18.01.2021 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(बी.एल. सर्वा)

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 11.01.2021

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3.  सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर